कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ 32 (1) रसद / खाद्य सुरक्षा / आवंटन / 2016 / 2715

दिनांक : 14 / 07 / 2017

उप–आवंटन आदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

खाद्य विभाग के आवंटन आदेश क्रमांक एफ 13 (1) खा.वि. / आवंटन / खाद्य सुरक्षा / 2017 जयपुर दिनांक 05 / 07 / 2017 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवारों सहित) हेतु जिले को **माह अगस्त, 2017** हेतु **7081 एम.टी.** गेहूं का आवंटन प्राप्त हुआ है। विभाग द्वारा माह सितम्बर 2016 से जून 2017 तक जिले द्वारा उठाये गये गेहू एवं पोस मशीनों से वितरण पश्चात सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा प्रदत्त अवशेष गेहू की मात्रा को कम करते हुए अगस्त 2017 हेतु आवंटन प्रदान किया गया है। माह जुलाई 2017 में उचित मूल्य दुकानदारों को गेहूं उपलब्ध करवाने के लिये **131 एमटी** गेहूं की अतिरिक्त आवश्यकता है। उपभोक्ता भंडार के पास 140 एमटी एवं केवीएसएस गढी के पास 46 एमटी गेहूं अवशेष है, जबकि राजस संघ को 261 एमटी, केवीएसएस बांसवाडा को 31 एमटी एवं नागरिक आपूर्ति निगम को 26 एमटी गेहू की अतिरिक्त आवश्यकता है। पंचायत समितियों एवं शहरी निकायों से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार जिले में खाद्य सुरक्षा हेतु पात्र परिवारों की संख्या 382846 है एवं इनकी युनिट 1684374 है, जिसके लिये 9323.66 एमटी गेहू आवश्यक है। जिले के उचित मूल्य दुकानदारों के पास माह सितम्बर 2016 से जून 2017 तक पोस मशीन से वितरण करने के बाद 4039 एमटी गेहू शेष रहता है। यद्यपि कुछ दुकानों पर ऑफलाईन वितरण किया गया है, जिसे ऑनलाईन करवाने पर उचित मूल्य दुकानों पर अवशेष गेहू की मात्रा कम रहेगी।

अतः **माह अगस्त 2017** के लिए 7081 एमटी गेहूं का खाद्य सुरक्षा योजना के तहत **अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं ए.पी.एल के चयनित पात्र परिवारों हेतु** थोक विक्रेतावार / तहसील वार उप–आवंटन निम्नानुसार जारी किया जाता है:–

बी.पी.एल., स्टेट बी पी एल, अन्त्योदय एवं ए.पी.एल. के पात्र परिवारों हेतु माह अगस्त 2017 हेतु

(मात्रा एमटी)

नाम थोक विक्रेता	पंचायत समिति	अन्त्योदय कार्ड	35 किलो प्रति राशनकार्ड से आवंटन	अन्य पात्र परिवार	अन्य पात्र परिवारों की युनिट	5 किलो प्रति यूनिट से आवंटन	वितरण हेतु आवश्यक मात्रा 4+7	उचित मूल्य दुकानदारों के पास पोस से वितरण पर अवशेष गेहू	एफ.सी.आई. से उठाव हेतु आवंटित मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस संघ बांसवाडा	कुशलगढ	5156		36294	156564	782.82			
	सज्जनगढ	6941		32066	156643	783.215			
	न.पा.कुशल.	726		862	2960	14.8			
	आनन्दपुरी	5294		28852	125412	627.06			
	बागीदौरा	4146		22371	102857	514.285			
	गांगडतलाई	4512		17345	84074	420.37			
	योग	**26775**	**937.13**	**137790**	**628510**	**3142.55**	**4079.68**	**2171.41**	**3000**
केवीएस एस एस बांसवाडा	छोटी सरवन	3704		16176	68626	343.13			
	पं.स. बांसवाडा तह. आबापुरा	2139		12011	52113	260.565			
	योग	**5843**	**204.51**	**28187**	**120739**	**603.695**	**808.205**	**346.17**	**650**
राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति लि.	न.प. बांस.	3883		8625	36254	181.27			
	पं.स. बांसवाडा तह. बांसवाडा	2947		16950	70166	350.83			
	पं.स.तलवाडा तह. बांसवाडा	2989		19308	81244	406.22			
	योग	**9819**	**343.67**	**44883**	**187664**	**938.32**	**1281.99**	**410.62**	**1000**
केवीएसएस गढी	गढी	**7353**	**257.36**	**52226**	**225338**	**1126.69**	**1384.05**	**155.15**	**1301**
उ.थोक भण्डार	घाटोल	**10618**	**371.63**	**59352**	**279620**	**1398.1**	**1769.73**	**955.77**	**1130**
	महायोग	**60408**	**2114.3**	**322438**	**1441871**	**7209.355**	**9323.66**	**4039.12**	**7081**

नोट–

खाद्य विभाग के उपरोक्त आवंटन आदेश के अनुसार आवंटित गेहूँ की उपरोक्त मात्रा का उठाव वितरण माह से पूर्व माह की अन्तिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित किया जावे। अगस्त 2017 हेतु आवंटित गेहू की मात्रा वितरण हेतु आवश्यक गेहू से कम है। इसकी पूर्ति उचित मूल्य दुकानों पर अवशेष गेहू एवं थोक संस्थाओं के पास अवशेष गेहू से की जावेगी। उचित

मूल्य दुकानदारों के पास माह सितम्बर 2016 से मई 2017 तक पोस मशीन से वितरण के बाद अवशेष गेहूं की आधी मात्रा की कटौती माह जुलाई 2017 में की गई है, अवशेष कटौती अगस्त 2017 के आवंटन से की जावेगी। यद्यपि माह अगस्त 2017 हेतु उचित मूल्य दुकानवार आवंटित गेहूं की सूची पृथक से दी जा रही है। इस सूची के अनुरूप ही उचित मूल्य दुकानदारों को गेहूं का आवंटन किया जावेगा। यदि किसी दुकानदार द्वारा अवशेष गेहूं का वितरण माह जुलाई 2017 में कर दिया है अथवा पूर्व में ऑफलाईन वितरण किया है तो उसे जिला रसद अधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा में गेहूं दिये जाने थोक विक्रेताओं को पृथक से लिखा जावेगा।

इस सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी :-

1. अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम गेहूं 2 रू. प्रतिकिलो की दर से वितरण किया जावेगा।
2. खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत बी.पी.एल. व स्टेट बी.पी.एल. परिवारों को 2 रू. प्रति किलोग्राम की दर से प्रति व्यक्ति (प्रति युनिट) 5 किलोग्राम गेहूं वितरण किया जावेगा।
3. ए.पी.एल. से चयनित पात्र परिवारों को 2 रू. प्रति किलोग्राम की दर से प्रति व्यक्ति (प्रति युनिट) 5 किलोग्राम गेहूं वितरण किया जावेगा। इन परिवारों की प्रमाणित सूची विकास अधिकारी/स्थानिय निकाय से प्राप्त कर उसके अनुरूप वितरण किया जावे।
4. थोक विक्रेताओं को उचित मूल्य दुकानवार के पास अवशेष गेहूं की सूची पृथक से दी जा रही है। सूची के अनुरूप मात्रा कम कर संबंधित डीलर को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा।
5. गेहूँ का वितरण कार्य नये डीजिटल राशन कार्डों पर POS मशीन के द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर ही किया जावेगा।
6. प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम में आवंटित खाद्यान्न की राशि जमा कर रिलिज़ ऑर्डर प्राप्त करेंगे।
7. प्रबन्ध खा.ना. आपूर्ति निगम लि. बॉसवाड़ा एवं समस्त थोक विक्रेता खाद्यान्न का उठाव करते समय फैयर एवरेज क्वालिटी अथवा यू.आर.एस. श्रेणी का गेहूँ भौतिक रूप से देख कर ही लेंगे। नियमानुसार सैम्पल लिया जावेगा। खराब क्वालिटी गेहूँ का उठाव नही किया जावेगा।
8. यदि थोक विक्रेता द्वारा किसी उचित मूल्य दुकानदार को खराब गेहूँ की आपूर्ति करता है तो उसका वितरण उपभोक्ताओं में नही किया जावे तथा थोक विक्रेता खराब गेहूँ को अपने स्तर से बदलेगा।
9. सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षकों द्वारा समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को पाबन्द किया जावें कि उनके द्वारा आवंटित माह का खाद्यान्न पूर्व माह की अंतिम तारीख तक उठाया जावें। यदि किन्ही उचित मूल्य दुकानदारों के द्वारा निर्धारित तिथि तक थोक विक्रेताओं के वहां राशि जमा कर खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जाता है, तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी एवं जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
10. किसी भी उपभोक्ता को एक से अधिक योजनाओं में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जावेगा।
11. समस्त प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक थोक विक्रेता से प्रतिदिन उठाव व वितरण की सूचना प्राप्त कर रेण्डम आधार पर उचित मूल्य दुकानदारों को आपूर्ति किये जाने वाले गेहूं का भौतिक सत्यापन करेंगे। समस्त प्रवर्तन अधिकारी अपने क्षेत्र में गेहूं वितरण पर निगरानी रखेंगे तथा समय - समय पर प्रभावी निरीक्षण करेंगे।
12. समस्त थोक विक्रेता परिवहन समानीकरण के लेखे प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जिला रसद अधिकारी, कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
13. उचित मूल्य दुकानों के सूचना पट्ट पर वितरण की जाने वाली सामग्री की मात्रा, दुकानों के खुलने व बन्द होने का समय, प्रारम्भिक एवं अन्तिम स्टॉक की पूर्ण सूचना प्रतिदिन प्रदर्शित की जावें।
14. उचित मूल्य दुकान पर आवंटन एवं वितरण सम्बन्धी रिकार्ड निरीक्षण के लिए उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही वितरित किये जा रहे खाद्यान्न का नमूना हर समय उपलब्ध रहना चाहिए।
15. उचित मूल्य दुकानों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्टॉक रजिस्टर, पूर्व के वितरण रजिस्टर एवं POS मशीन दुकान परिसर में हर समय उपलब्ध रहना सुनिश्चित किया जावें। यह व्यवस्था कठोरता से लागू की जाये।
16. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण से सम्बन्धित सभी एजेन्सियों द्वारा उक्त आदेश की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावें। यदि किसी भी एजेन्सी द्वारा अनियमितता करना पाया जाता है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत चयनित परिवारों को खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त आदेशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

जिला कलेक्टर (रसद),
बाँसवाड़ा

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक उपभोक्ता मामलात् महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. सांसद महोदय, बांसवाड़ा– डूंगरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बांसवाडा।
3. जिला प्रमुख महोदया, जिला परिषद, बांसवाडा।
4. विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र बांसवाड़ा / गढी / घाटोल / बागीदौरा / कुशलगढ।
5. प्रधान, पंचायत समिति, बांसवाडा / घाटोल / गढी / बागीदौरा / छोटी सरवन / कुशलगढ / सज्जनगढ / आनन्दपुरी / तलवाडा / अरथुना / गांगड़तलाई।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाड़ा उक्त आवंटन आदेश की प्रतियां जिला परिषद की सामाजिक एवं न्याय समिति के सदस्यों को भी उपलब्ध करावें।
7. उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा / घाटोल / गढी / बागीदौरा / कुशलगढ / सज्जनगढ / आनन्दपुरी / छोटी सरवन।
8. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बांसवाड़ा को दैनिक समाचार पत्रों में समाचार आईटम के रूप में प्रकाशन हेतु।
9. उपनिदेशक सूचना प्रोद्योगिकि एवं संचार विभाग बांसवाडा को जिले के वेब पोर्टल पर डालने हेतु।
10. तहसीलदार, तहसील बाँसवाड़ा /छोटी सरवन/ आम्बापुरा / घाटोल / गनोडा / गढी / बागीदौरा / आनन्दपुरी / गांगडतलाई / कुशलगढ / सज्जनगढ।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसवाड़ा / गढ़ी / घाटोल / बागीदौरा / आनन्दपुरी / सज्जनगढ़ / कुशलगढ / छोटी सरवन / तलवाडा / अरथुना / गांगड़तलाई ।
12. क्षेत्र प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम उदयपुर। / सहायक प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम बांसवाड़ा।
13. प्रर्वतन अधिकारी / प्रवर्तन निरीक्षक, बांसवाड़ा / घाटोल / गढ़ी / कुशलगढ़ / बागीदौरा को वितरण पर पूर्ण सतर्कता हेतु।
14. प्रबन्धक, राजस्थान राज्य एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बांसवाडा।
15. क्षेत्रीय प्रबन्धक राजस संघ बांसवाडा।
16. मुख्य व्यवस्थापक स.उ.थोक भण्डार बांसवाड़ा।
17. मैनेजर,क्र.वि.स.स. बांसवाड़ा / परतापुर।
18. समस्त उचित मूल्य दुकानदार जिला बांसवाड़ा द्वारा सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी / प्रवर्तन निरीक्षक को पालनार्थ ।
19. लेखा, अनुभाग कार्यालय हाजा।

जिला रसद अधिकारी,
बाँसवाड़ा